



कार्यालय कलेक्टर (श्रम), जिला— मुंगेली (छत्तीसगढ़)

आदेश :-

क्रमांक ६२ /श्रम/ब०श्र०स०स०/सीएसटी/2012 मुंगेली दिनांक ६-११-१२

छ०ग०शासन, पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग, रायपुर के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक— 4561/2012 दिनांक 27.03.2012 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में अनुविभाग लोरमी में बंधक श्रम विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु अधिनियम 1976 की धारा— 13 के अंतर्गत अनुविभाग स्तर पर बंधक श्रम सतर्कता समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :—

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा०), लोरमी — अध्यक्ष
2. अनुसूचित जाति जनजाति के 03 नामांकित सदस्य — 1. श्री रामेश्वर बंजारे, पथरी, लोरमी 2. श्री ननकू भिखारी, नवागांव (ठे) लोरमी, 3. श्री सुखनंदन धुमसरे, लोरमी
3. दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य — 1. श्री गुरमीत सलूजा, लोरमी 2. श्री नंदकिशोर त्रिपाठी, लोरमी
4. ग्रामीण विकास से जुड़े तीन नामांकित सदस्य — 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लोरमी 2. श्री. रामकुमार पात्रे, लोरमी 3. श्री पीतर सिंह राजपूत, लोरमी
5. वित्तीय संस्थान के सदस्य — 1. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, लोरमी

यह समिति अधिनियम की धारा—14 के तहत बंधक श्रमिकों की मुक्ति एवं पुनर्वास के संबंध में समीक्षा करेगी तथा नियमतः बैठकें भी आयोजित करेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

[Signature]

कलेक्टर

जिला— मुंगेली (छ०ग०)

पृष्ठांकन क्रमांक ६३ /श्रम/ब०श्र०स०स०/सीएसटी/2012 मुंगेली दिनांक ६-११-१२

प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग, छ०ग०शासन की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. श्रम पदाधिकारी, श्रमायुक्त कार्यालय, छ०ग०रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. अनुदल विकास सुरक्षा चिनामानु की ओर सूचनार्थ सापर तत्त्वेषित ।
4. सर्वसंबंधित..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

[Signature]

कलेक्टर

जिला— मुंगेली (छ०ग०)

[Signature]